छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 नया रायपुर, दिनांक 4/03/2017

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में माननीय राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग।

------00------

बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इस संबंध में इस विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.01.2012 जारी की गई थी। जिसकी अवधि दो वर्ष निर्धारित थी। उक्त अवधि में समय–समय पर वृद्धि की जा रही है। अधिसूचना दिनांक 16.1.2015 द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 16 जनवरी, 2017 तक बढ़ाया गया था।

2/ राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 25/02/2017 द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 17 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.2.2017 की छायाप्रति संलग्न है।

3/ आदेशानुसार निवेदन है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 25.2.2017 के अनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

3/3/17

(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 नया रायपुर, दिनांक 4/03/2017

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. आयुक्त, बस्तर एवं सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़,

की ओर अधिसूचना दिनांक 25/02/2017 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय रायपुर की ओर संलग्न अधिसूचना दिनांक 10/03/2015 को GAD की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

3/3/17

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एन.आई.सी. राज्य इकाई, रायपुर
N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR
No. 4309
Date 6/03/17

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 25/02/2017

क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 :: यतः भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा–5 के उप–पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित "नियुक्ति के लिए पात्रता" संबंधी प्रावधान में, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3, रायपुर, दिनांक 17.01.2012 द्वारा उपांतरण करते हुए, निर्देशित किया गया था कि इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे;

और यतः उक्त अधिसूचना, 17 जनवरी, 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी की गई थी और 16 जनवरी, 2014 तक प्रवृत्त थी, उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3, रायपुर, दिनांक 19 मई, 2014 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये अर्थात् 17 जनवरी, 2014 से 16 जनवरी, 2015 तक बढ़ाया गया था; एवं उक्त अधिसूचना की अवधि को समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3, रायपुर, दिनांक 10 मार्च, 2015 द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी, 2015 से 16 जनवरी, 2017 तक और बढ़ाया गया था;

और यतः यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाई जाये;

अतएव, पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप–पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया उपांतरण, आगामी अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 तक निरंतर प्रवृत्त रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(विकास शील) 23/2/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः....2

नया रायपुर, दिनांक 25/02/2017

क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 दिनांक 25-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

23/2/17

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Government of Chhattisgarh
Department of General Administration
Mantralaya,
Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

♣NOTIFICATION♣

Naya Raipur, dated 25 /02 /2017

No. F 1-1/2012/1-3 : : Whereas, in exercise of the powers conferred by Sub-Para(1) of para 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, modifying the provision regarding "eligibility for appointment" mentioned in rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 made by the State Government under Article 309 of the Constitution of India vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Raipur, Dated 17.01.2012, directed that notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules or Law for the time being in force, only local residents of the districts falling under Baster and Sarguja Division, shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in Class-III and Class-IV posts of the district cadre in various departments of the concerned districts, for a period of two years from the date of issue of the said Notification;

And Whereas, the said notificaion was issued on 17th january, 2012 for a period of two years and was in force till 16th january, 2014; the term of the said notification was extended for a period of one year i.e. from 17th january, 2014 to 16th january, 2015 vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Raipur, Dated 19th May, 2014; and the term of the said notification was further extended for a period of two years i.e. from 17th january, 2015 to 16th january, 2017 vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Raipur, Dated 10th March, 2015;

And Whereas, it has become necessary to extend the term of the said notification for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-para(1) of Para 5 of the Fifth Schedule of the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that the modification made by the said notification in the rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 shall remain in force continuously for a further period i.e. from 17th january, 2017 to 31st December, 2018.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

23/2/17
(Vikas Sheel)
Secretary
Government of Chhattisgarh
General Administration Department.